an>

Title: Need to frame stringent laws for eradication of child labour in the country.

डॉ वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़)ः हम सभी जानते हैं कि चौदह साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना या करने को मजबूर करना अपराध है। यूनीसेफ बाल श्रम को ऐसे कार्यों के रूप में परिभाषित करता है जो एक बालक के लिए हानिकारक समझे जाते हैं। बच्चों के हितों और संरक्षण का मामला हमारे संविधान में भी निहित है। इसके बावजूद हमारे देश में आजादी के बाद से ही बच्चों के अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बाल श्रम को बच्चे के स्वास्थ्य की क्षमता, उसकी शिक्षा को बाधित करने और उसके शोषण के रूप में परिभाषित करता है। अपने देश के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश का प्रत्येक चौथा बालक बाल श्रम के चलते स्कूल नहीं जा पाता है। ऐसे में सरकार से मेरा आग्रह है कि बाल श्रम के उन्मूलन हेतु देश में कठोर कदम उठाए जाएं।